

दिनांक 12-11-16

प्रकरण आज लोक अदालत में पेशा।

राज्य द्वारा एडीपीओ उपा

आरोपीराण सहित श्री एम०पी०एस० रागा अधिवक्ता उपिस्थत।

उपस्थित होकर राजीनामा करना व्यक्त किया और राजीनामा क अनुमति करियादी मोहम्मद सरीक, अफसाना, पिकी खा और अवयस्क अमीन की और से संविदा करने हेतु सक्षम उसके पिता मोडम्मद सरीफ ने समझीता हो चुका है और वे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। चाही उनस्यक्त ने निधारित डॉकेट हस्तामरित पर पेश किया

ने राजीतामा करने के लिये सक्षम है। अत उभयपक्षी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते हुए उन्हें राजीतामा करने की अनुमति प्रदान की खेळापूर्वक विना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के दित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। आवेदकाण की अनुमति उपरात राजीनामा याग्य है। आवेदकमण ने आहोपीगण से अरोपीगण के विरुद्ध मादस की घारा 294, 323/34 एवं 506 माग-2 भादि के असमीत आतीप बनना प्रतीत होता है जो न्यायालय किया गया जिससे दक्षित है का अवस्तिकन प्रकर्ण

मादस की धारा 294, 323/34, 325/34, 506, बाग-2 के आरोप से आरोपींगण व फारवादी/आवेदकाण द्वारा संयुक्त हस्तासारित जाजीनामा पेश किया नया है। अत राजीनामा के आधार पर आरोपीगण की दोममुक्त किया जाता है।

आरोपीएण के जमानत मुचलक भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकाण में जप लाटी संख्या तीन नष्ट की जादे।

प्रकरण का परिणाम पती में दर्ज कर क्रकरण अमित्रवागार भेजा

लाक अन्यलन पीठ कमाक -22 क्रीश्मान अधिकारी 正是

क्षे प्रमोद स्वामी एड मोहद

श्री सतेन्द्रसिंह तामर एड गोइद